

13/11/19

वकीलवादी उपण वकीलवादी को  
प्रतिवादी की तक्रारी हेतु तक्रारवाला  
रजिस्ट्रार ए.डी. पेडा को हेतु अन्तिम  
कैम्पेन-दिये जाने के उपरान्त श्री वकील  
वादी ने तक्रारवाला व रजिस्ट्री की रजिस्ट्री  
पेडा नहीं की थी अतः दावा वादी  
अन्तर्गत धारा 09 ROS 4P के तहत  
अदम तक्रारी में खारिज किया जाता  
है पत्रवाणी बाद तक्रारी नम्बर से  
कह दोका-दा विरुद्ध दफ्तर हो (सुनने)

सहायक कलक्टर  
अलवर